



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 20 जनवरी, 2026 ई०

पौष 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या- 10/2026/05(120)/XXXVII(8)/2024 ई०-69680

देहरादून: दिनांक 20 जनवरी, 2026

अधिसूचना

राज्य सरकार का समाधान हो गया हैं कि लोक हित में ऐसा कराना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2025 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की अगली तारीख से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

संशोधन

अनुसूची III में, क्रमांक 5 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी;
अर्थात् :-

क्र.सं.	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
5.	प्राकृतिक गैस	नि० या आ०	5 प्रतिशत

आज्ञा से,
दिलीप जावलकर,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased order the publication of the following English translation of the Notification No. 10/2026/05(120)/XXVII(8)/2024/2026, dated January 20, 2026 for general information:

No. 10/2026/05/(120)XXVII(8)/2024,
Dated Dehradun, January 20, 2026

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Uttarakhand Act. No 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act. 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the next date of the issuance of this notification, the following amendment in Schedule III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005;

Amendment

In Schedule III, for the existing entry at serial no 5, following entry shall be substituted; namely :-

Sl.No	Description of goods	Point of Tax	Rate of tax
5.	Natural Gas	M or I	5%

By Order,

DILIP JAWALKAR,
Secretary.